कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सूचना//

जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में पुरानी अलमारियों में रंग–रोगन, मरम्मत आदि अनुरक्षण कार्य हेतु सीलबंद सीमित निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक संबंधित व्यापारी/विक्रेता/फर्म अपनी सीलबंद सीमित निविदायें पूर्ण जानकारी सहित जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में दिनांक 10.06.2022 के सायंकाल 5.00 बजे तक आवक–जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 15.06.2022 को दोपहर 2.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं अनुरक्षण कार्य की सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट **www.mphc.gov.in** एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in/gwalior** पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।

10.5.22

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

<u>परिशिष्ट–ए</u>

वित्तीय विड

स.क.	विवरण	प्रति अलमारी पर अनुरक्षण व्यय राशि समस्त कर सहित
1	लोहे की अलमारियो में पुट्टी एवं अंदर–बाहर कलर	
2	लोहे की अलमारी के नवीन लॉक	
3	लोहे की अलमारी के हेण्डल रिपेयरिंग	
4	लोहे की अलमारी के पैर बदलना	

<u>नोटः</u>– अलमारियों में सामान्य कलर/मेटेलिक कलर/पाउडरकोटेड कलर के संबंध में प्रथक–प्रथक दरें कर सहित प्रस्तुत की जावें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

परिशिष्ट–बी

तकनीकी विड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजतकनीकी विड

कमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी. के अलग–अलग लिफाफे	
2	ई.एम.डी. राशि 5000/–	
3	पेन नंबर	
4	आयकर विवरणी	
5	जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
6	निविदा की शर्तों की स्वीकारोक्ति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

:: निविदा शर्तें ::

1— सील बंद निविदायें प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से दिनांक 10.06.2022 के सांयकाल 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। उक्त निविदा दिनांक 15.06.2022 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति द्वारा खोली जावेगी।

2— जिस कार्य के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट लिखा जावे।

3— नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

4— प्रधान जिला न्यायाधीश ग्वालियर को यह अधिकार होगा कि, निविदा खोलते समय यदि अलग—अलग कार्य की दरें भिन्न—भिन्न होने पर जिस निविदाकर्ता की दरें/गुणवत्ता जिस कार्य की कम होगीं तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार एक से अधिक निविदाकर्ताओं को कार्य आदेश दिया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त किया जा सकता है। जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उसकी ईएमडी राशि 6 माह तक जमा रहेगी। 06 माह के पश्चात किये गये कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्ति न होने पर संबंधित निविदाकर्ता को ईएमडी राशि रिलीज की जावेगी।

5— निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।

6— निविदाकार को सोंपे गये कार्य की अवधि कार्य आदेश दिनांक से 15 दिवस में पूर्ण करना आवश्यक है, निविदाकर्ता द्वारा बिना उचित कारण के उनके द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन विलम्ब शुल्क 500/— रूपये के मान से भुगतान किये जाने वाली देयक की राशि से काट लिया जावेगा।

7— निविदा से संबंधित शर्ते एवं अन्य जानकारी उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाईट **www.mphc.gov.in** एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in/gwalior** से डाउनलोड की जाकर रूपये 500/— रूपये नगद/डीडी नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर में जमा कर प्राप्त रसीद/डीडी निविदा के साथ संलग्न कर दिनांक 10.06.2022 को सांयकाल 5.00 बजे तक आवक—जावक शाखा में जमा की जावेगीं। डीडी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से देय होगा।

8— निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।

9— निविदाकारों को सुरक्षा निधि के रूप में 5000/— रूपये की ईएमडी एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी, जिसकी परिपक्व अवधि कम से कम 06 होगी। ईएमडी एफडीआर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से देय होगी। ईएमडी एफडीआर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से ईएमडी जमा करने पर निविदाकारों की निविदा निरस्त की जा सकती है, जिन निविदाकर्ताओं की निविदा अस्वीकृत की जायेगी, उनकी जमा सुरक्षा निधि वापिस कर दी जावेगी।

10— किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

11— शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगीं।

12— सम्पूर्ण कार्य की दरें समस्त करों सहित दी जाये।

13— **वित्तीय / तकनीकी लिफाफे** — निविदाकर्ता प्रथक—प्रथक वित्तीय, तकनीकी एवं ई.एम.डी. की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उनपर वित्तीय, तकनीकी विड, ई.एम.डी. लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफे में मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

14— निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जायेगें। जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेगें उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबधं में बिना उचित कारण के कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय विड के लिफाफे खोले जायेगें।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य जिला स्थापना ग्वालियर, सिविल न्यायालय डबरा / भितरवार न्यायालय परिसर में ही जाकर किया जाना है, उक्त संबंध में आने—जाने का किसी भी प्रकार का भाड़ा / व्यय प्रथक से देयक नहीं होगा। उक्त कार्य हेतु विद्युत सप्लाई, स्थान कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

16— लगभग 80 अलमारियों में रंग—रोगन, लॉक, हेण्डल में मरम्मत आदि कार्य किया जाना है, जिसकी संख्या में कमी या वृद्धि संभावित है।

17— निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, जिला न्यायालय ग्वालियर के मोबाईल कमांक 9826586446 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

10.5.2

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :—